न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील: 10/2018

दायर दिनांक: 25.05.2018

निर्णय दिनांक 14.11.2019

—:अनवान:—

मेवाड स्टोन एण्ड मिनरल्स उदयपुर जरिये भागीदार श्री विजय पिता श्री विमल अग्रवाल आयु 47 वर्ष निवासी 94 गायत्री मार्ग, कानजी का हाटा, फुल जी बाडी, उदयपुर, जिला उदयपुर

———अपीलांट

—:बनाम:—

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खमनोर जिला राजसमन्द

———रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण आदेश संख्या 1634 दिनांक 15.01.2008 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, खमनोर से व्यथित होकर

उपस्थित वक्त बहस:—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—::निर्णय::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। कि अपीलांट फर्म के नाम पर तीन खनन पटटे खनिज बाबत मार्बल खण्ड हेतु स्वीकृत होकर चालू है जिसके एम.एल. सं0 1026/91, 1027/91, 1028/91 स्वीकृत क्षैत्र क्रमशः 1 हैक्टर है। उपरोक्त तीनों खनन पटटे राजस्व ग्राम सगरूण पटवार हल्का सगरूण, तहसील खमनोर के आराजी संख्या 3465, 3466, 3455, 5046/3467, 5048/3467, 5045/3467, 5044/3467, 5028/3467, 4253/3467, 5047/3467 एवं 3486 की कृषि भूमियों को किस्म खनन क्षैत्र के रूप में दर्ज हैं। अपीलांट के खनन क्षैत्र में गिरने वाली निजी खातेदारी भूमि के संबंध में अपीलांट द्वारा खनन पटटा स्वीकृति एवं खनन कार्य करने से पूर्व नियमानुसार निजी खातेदार से खनन कार्य करने बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र/खातेदार की लिखित सहमति प्राप्त करने का बाद ही प्रार्थी द्वारा खनन कार्य किया गया है। प्रार्थी के उक्त खनन क्षेत्र में गिरने वाली भूमि में आराजी नम्बर 5028/3467 की भूमि भी स्थित है जिसके संबंध में भूमि के गैर खातेदार द्वारा भी प्रार्थी के उक्त खनन पट्टे के संबंध में अनापत्ति/लिखित सहमति खनन कार्य करने बाबत प्रदान कर रखी है। लेकिन उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं होते हुए भी और खनन कार्य किये जाने से सतही अधिकार गैर खातेदार के समाप्त हो चुके हैं क्योकि गैर खातेदार ने लिखित सहमति खनन कार्य करने बाबत प्रदान कर रखी है, इसलिये उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं लेकिन प्रतिवादी द्वारा सारे नियमों की पालना किये बगैर उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्रदान कर उक्त भूमि का नामान्तरण गैर खातेदारी से खातेदारी स्वीकृत करते हुए नामान्तरण स्वीकृत किया है जो विधि के विपरित है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थिति।

अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता बहस सूनी गयी। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपील मेमो में लिये गये आधारों को बहस में दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में नायब तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व संबधित पक्षकार को सूने बगेर ही सनमकसूद तरीके से यह आदेश पारित किया है जो न केवल विधि के विपरित है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित है। क्योंकि उक्त भूमि पर प्रार्थी फर्म के नाम पर

खनन पट्टा स्वीकृत होकर चालू है। उक्त खनन पट्टा खनिज विभाग द्वारा उक्त भूमि में दिनांक 08.01.1992 को ही स्वीकृत कर दिया गया। तब से इस भूमि पर खनन कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। मौके एवं रेकार्ड अनुसार उक्त भूमि खनन कार्य के लिये ही उपयोग में ली जा रही हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में विधि के मूलभूत सिद्धान्तों की पालना नहीं की गई है। स्वीकृत रूप से राज्य सरकार द्वारा वादग्रस्त भुमि में खनन पट्टे स्वीकृत कर रखे है तथा पिछले 26 वर्षो से उक्त भूमि में खनन पट्टे संचालित हो रहे है और खनन कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि खनन के लिए ही उपयोगी है और खनन पट्टे स्वीकृत होने के बाद राजस्व रेकार्ड में खनन क्षैत्र के रूप में अमल दरामद करने के प्रावधान है। खनन क्षैत्र की भूमि का अन्य रूप में उपयोग न हो इसलिए राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग द्वारा विभागीय परिपत्र एवं आदेश के जरिये खनन पट्टे की भूमि को राजस्व रेकार्ड में खनन क्षैत्र के रूप में दर्ज करने एवं अमल दरामद करने के आदेश/निर्देश जारी कर रखे है। लेकिन उक्त निर्देशों की पालना किये बगैर ही पटवारी हल्का से मौके की गलत रिपोर्ट एवं गलत राजस्व रेकर्ड तैयार करा उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार स्वीकृत कराये गये हैं। यह सारी कार्यवाही जानबूझकर इरादतन राजस्व अभियान वर्ष 2008 में दिनांक 15.01.2008 को उक्त कार्यवाही की गयी है तथा उसी दिनांक को खातेदारी अधिकार भी स्वीकृत कर दिये गये हैं जिसके संबंध में सारा रेकार्ड पटवारी हल्का द्वारा गलत एवं फर्जी रूप से तैयार किया गया है। भूमि पर काश्त ही नहीं हो रही है न ही कब्जा गैर खातेदार का है बल्कि गैर खातेदार द्वारा तो खनन पट्टा स्वीकृति अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है और मौके पर खनन पट्टा स्वीकृत होकर चालू है। फिर भी खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये है। यह सारी कार्यवाही तत्कालीन नायब तहसीलदार, खमनोर ने अपने मनमकसूद तरीके से की है। जो विधि के विपरित है। अतः अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, खमनोर द्वारा पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण विधिनुकूल होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के बहस पर मनन विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिसमें निजी खातेदार से खनन कार्य करने बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र/खातेदार से लिखित सहमती का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया तथा खनन पटटे का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया। जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन हैं उसको रेस्पोडेंट नही बनाया गया हैं। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार रेकार्डेड खातेदार को सुने बिना कोई प्रतिकुल आदेश पारित नही किया जा सकता हैं। उक्त आराजी पर आंवटन निरस्तीकरण की कार्यवाही भी विचाराधीन है साथ ही ऐसा प्रतित होता है कि जो विधिक रूप से खातेदार है उसकी जमीन के अतिक्रमण की मंशा से अपीलांट ने वाद दायर किया हैं। ऐसी स्थिति में हम उक्त अपील को खारिज करना न्यायोचित समझते है।

—::आदेश::—

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांकः 14.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द